

FORM-I

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

No--- 04/8-LAC(2020-21)

Dated---05/02/2021

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinace of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes; it is certified that **0.450** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of P.D. P.W.D. Lansdowne Garhwal for **Khadoliya khet to koula-Pultanda Motor road 4.00 km. in Nainidanda Block, Lansdowne Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand of the P.D. P.W.D. Lansdowne falls within jurisdiction of Koula malla,talla and Pultanda village(s) in Dhumakot Tehsil**
It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.450** hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- (b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerred Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
69
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of **Koula malla,talla and Pultanda** villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure.....
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communitis, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl.. As above

(Dhraj Singh Garhiyal)
District Collector, Garhwal.
जिलाधिकारी
गढ़वाल

प्रारूप-30

FORM-II

(for liner projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Garhwal

No... 05/18.LAC (2020-21)

Dated 05/12/2021

To WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests(MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines of submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006(FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.450 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Public work Department** for **Khadoliya khet to koula-Pultanda Motor road 4.00 km.** in **Nainidanda Block, Lansdowne Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand** of the **P.D. P.W.D. Lansdowne** falls within jurisdiction of **Koula malla,talla and Pultanda village(s)** in **Dhumakot Tehsil.**

It is further certified that:

- (g) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.450 hectares** of forest area diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure --- to..... annexure -----
- (h) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (i) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre agricultural communities.

Encl.. As above

(Dhiraj Singh Garhiyal)
District Collector, Garhwal.
गढ़वाल

प्रारूप 30.1OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Garhwal** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dhiraj Singh Garbyal** I.A.S deputy commissioner, **Garhwal** on dated 5/2/2021 at time 1.30 PM at **Pauri** in which application claiming rights in **Civil Forest /Van panchayat** area measuring **0.450** hect for the construction of **Khadoliya khet** to **koula-Pultanda Motor road 4.00 km. in Nainidanda Block, Lansdowne Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand of the P.D. P.W.D. Lansdowne Uttarakhand** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Dhumakot** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Pauri (Garhwal)

Dated: 05-02-2021

DRJ
(Dhiraj Singh Garbyal)
Deputy Commissioner cum-Chairman
District Level Committee

It is further certified that – Minutes Of Meeting of **Construction of Khandoliya khet to Koula-pultanda Motor Road In Nainidanda Block of Lansdwone Constituency at Distt Pauri garhwal Uttarakhand** (Length 4.00 Km.) regarding FRA is as following :

S.No.		Remark
(a)	The Complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been Carried out for the entire 0.450 hectares of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 30.2	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages Koula Malla, Koula Talla regarding construction of aforesaid construction of Motor Road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

अनिता मल्लवाल
खिलकोट बाई
जिला पंचायत सदस्य
पौड़ी गढ़वाल।

समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रभुजी खन्ना सिंह रावत
गढ़वाल नगर प्रभाग, पौड़ी
गढ़वाल।

(धोबराज सिंह मल्लवाल)
जिलाधिकारी
गढ़वाल।

दिनांक 05-02-2021 को जिलाधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम-2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित रही :-

- | | | | |
|----|-----------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. | सर्व श्री धीराज सिंह गर्बाल | जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल | अध्यक्ष जिलाधिकारी |
| 2. | श्री ३० रसोराव | प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी | सदस्य गढ़वाल |
| 3. | श्रीमती सुनीता अरोड़ा | जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी | जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी गढ़वाल |
| 4. | श्रीमती अनिता मथवाल | जिला पंचायत सदस्य विनकोट वार्ड नैनीडांडा | सदस्य अनिता मथवाल |

बताया गया कि (1) जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडाण्डा के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कौला-पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव-निर्माण कार्य हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है। जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्ग हेतु उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं।

मार्ग का विवरण निम्नवत है :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडाण्डा के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कौला-पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव-निर्माण :- इस मोटर मार्ग का निर्माण पूर्व स्वीकृत लक्ष्मणझूला-दुगडडा-हल्दूखाल-धुमाकोट (एस0एच0-9) मोटर मार्ग के किमी0 2014 से आरम्भ होकर ग्राम कौला मल्ला, कौला तल्ला व पुलटण्डा की सीमा पर समाप्त होता है। मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी0 है। इस मार्ग का प्रारम्भिक भाग में 400.00 मीटर लम्बाई में ग्राम कौला तल्ला की वनपंचायत भूमि है, तत्पश्चात् नाप भूमि (कास्तकारी भूमि) एवं 100.00 मी0 लम्बाई में सिविल वन भूमि प्रभावित हो रही है। मोटर मार्ग निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई अनुसूचित जनजाति, अदिवासी एवं अन्य परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की जा चुकी है, उक्त मार्ग निर्माण में ग्राम मलारा बड़ा की जनसंख्या 200 सहित अन्य क्षेत्रीय जनता भी लाभान्वित होगी, प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त उक्त गांवों को जोड़ने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है और ना ही प्रस्तावित है।

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडाण्डा के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कौला-पुलटण्डा तक मोटर मार्ग पर वन भूमि 0.450 हे० लो०नि०वि० को उप खण्डीय स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।


 (धीराज सिंह) जिलाधिकारी, आई०ए०एस०
 जिलाधिकारी
 गढ़वाल।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडौन

पत्रांक

21सी०

दिनांक

1. प्रतिलिपि जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०,
लैन्सडौन गढ़वाल।

प्रारूप 30.2

कार्य का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला -पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी०।

संख्या:- 519/जि.ए. वि. वि. 2020-21 दिनांक 22/12/2020
कार्यालय उप जिलाधिकारी धुमाकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति धुमाकोट

उपखण्ड धुमाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि शून्य हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.090 हे० वन पंचायत भूमि 0.36 हे० अर्थात् कुल 0.450 हे० आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धुमाकोट) की दिनांक 22/12/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जितेंद्र वर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री जितेंद्र वर्मा उपजिलाधिकारी धुमाकोट अध्यक्ष
2. श्री राजेश्वर सिंह रावत उप प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल सदस्य
3. श्री राजीव वर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी नैनीडांडा सदस्य
4. श्री मती सुरभदेवी बी०डी०सी० क्षेत्र नैनीडांडा सदस्य

पेज-2

प्रारूप 30.2

कार्य का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला -पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी०।

संख्या :- 519/जि.ए. वि.दि.ए/2020-21 दिनांक धुमाकोट दिसम्बर 22/2020
कार्यालय उप जिलाधिकारी धुमाकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति धुमाकोट

उपखण्ड धुमाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि शून्य हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.090 हे० वन पंचायत भूमि ^{0.360 हे०} अर्थात् कुल 0.450 हे० आरक्षित वन भूमि का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील धुमाकोट) की दिनांक 22/12/2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जितेंद्र वर्मा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री जितेंद्र वर्मा उपजिलाधिकारी धुमाकोट अध्यक्ष
2. श्री राजेंद्र सिंह रावत उप प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल सदस्य
3. श्री राजीव कर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी नैनिडांडा सदस्य
4. श्री मती सुरभादेवी बी०डी०सी० क्षेत्र नैनिडांडा सदस्य

पेज-2

—2—

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, धुमाकोट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड धुमाकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.450 हे० वन भूमि लो० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धुमाकोट
जनपद पौड़ी गढ़वाल।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील धुमाकोट
जनपद पौड़ी गढ़वाल।

सुरमा देवी
सुरमा देवी

क्षेत्र पंचायत सदस्य

24 - नौनिया खेत

वि० ख० - नैनीझांडा

जिला - पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

(रतिभजन)

राजस्व उपरि लेखक

पट्टी - वि० ख० 2-3

तहसील - धुमाकोट

जिला - गढ़वाल (उ० ख०)

तहसीलदार
धुमाकोट

प्रारूप-30.3कार्य का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला -पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कौला मल्ला

तहसील- धूमाकोट, जिला- पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला -पुलटण्डा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि 0.090 हे० सिविल सोयम भूमि... हे०, वन पंचायत भूमि 0.360 हे०) अर्थात् कुल 0.450 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कौला मल्ला द्वारा दिनांक 12.07.2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० लैन्सडौन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

(रतिभजन)

राजस्व उपारोपक
पट्टी... पुलटण्डा 2-3 ...
तहसील... धूमाकोट ...
जिला- गढ़वाल (30 अ०)

वहसीलदार
धूमाकोट

Scanned with
CamScanner

प्रारूप-30.4कार्य का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला -पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी०।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
सुमन अमन मुकुंज इन्द्रावती देवी		Suman Aman Mukesh Indra
सुनील किशन अनित शोनी लक्ष्मण शोनी Ramesh soni		Kishan Anil Lakshman Sonu
विमला देवी सुमन देवी विमला देवी रेनु देवी सुमन देवी अनित देवी		Vimala Suman Vimala Renu Suman Anita

हस्ताक्षर
धुमाकोट

Ratibhan
(रतिभान)

राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी... विमला देवी 3...
तहसील... धुमाकोट...
जिला- गढ़वाल (उ० ज०)



प्रारूप-30.3

कार्य का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला -पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम कौला ताल्ला

तहसील- धूमाकोट, जिला- पौड़ी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला -पुलटण्डा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि 0.090 हे० सिविल सोयम भूमि... हे०, वन पंचायत भूमि 0.360 हे०) अर्थात् कुल 0.450 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कौला ताल्ला द्वारा दिनांक 13/7/20 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कौला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० लैन्सडौन प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल



(रतिशाल)

राजस्थान उपायुक्त
पट्टी... विजली-3.....
तहसील... धूमाकोट.....
जिला- गढ़वाल (उ० ख०)

ह०/- PSB
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

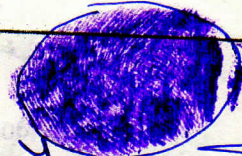
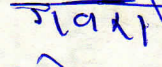
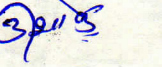
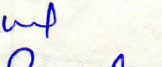
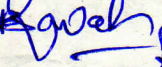
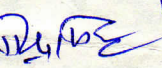
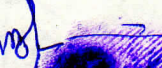
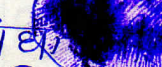
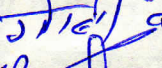
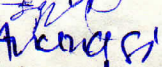
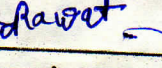
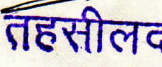
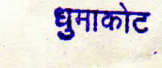


तहसीलदार
धूमाकोट

प्रारूप-30.4

कार्य का नाम :-

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लैन्सडौन के विकास खण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खंडोलिया खेत से कौला -पुलटण्डा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) किमी०।

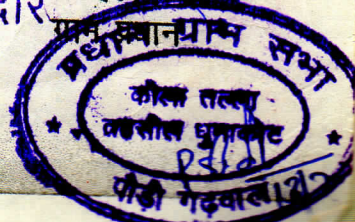
क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	श्रीमती मन्था देवी	 श्रीमती मन्था देवी
2-	विनोद	 विनोद
3-	हरेन्द्र सिंह	 हरेन्द्र सिंह
4-	धनपाल सिंह	 धनपाल सिंह
5-	गवर्धन सिंह	 गवर्धन सिंह
6-	श्रीधर सिंह	 श्रीधर सिंह
7-	केशव	 केशव
8-	राम सिंह	 राम सिंह
9-	विमला देवी	 विमला देवी
10-	सुनील	 सुनील
11-	होशियार सिंह	 होशियार सिंह
12-	रेवनाथ सिंह	 रेवनाथ सिंह
13-	योगेन्द्र सिंह	 योगेन्द्र सिंह
14-	संदीप	 संदीप
15-	सुरेन्द्र सिंह	 सुरेन्द्र सिंह
16-	सक्ती देवी	 सक्ती देवी
17-	विद्या देवी	 विद्या देवी
18-	ललिता देवी	 ललिता देवी
19-	गंगा देवी	 गंगा देवी
20-	धीरेन्द्र सिंह	 धीरेन्द्र सिंह
21-	मजरा सिंह	 मजरा सिंह
22-	हनुमान सिंह	 हनुमान सिंह
23-	विक्रम सिंह	विक्रम सिंह
24-		
25-		
26-		
27-		

(रतिमान)

राजसूय उपरिस्थित
पट्टी.....
तहसील.....
जिला- गढ़वाल (उ० अ०)

हस्ताक्षर
तहसीलदार
धुमाकोट

ह०/-



कार्यकानाम -

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र लेन्सडौन के विकासखण्ड नैनीताल के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कोला - पुल्टडा तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। लम्बाई (4.00) कि.मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

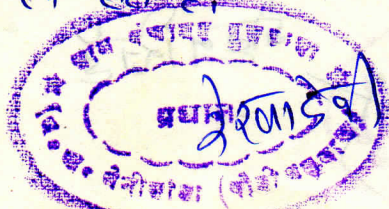
ग्राम पंचायत का नाम पुल्टडा
तहसील - धुमाकोट, जिला - पौड़ी गढ़वाल
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत खंडोलियाखेत से कोला - पुल्टडा तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे० आरक्षित वन भूमि 0.090 हे० सिविल सौयम भूमि वन पंचायत भूमि 0.360 हे०) अर्थात् कुल 0.450 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार परमिवरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्ति करने हेतु आदेश प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पुल्टडा द्वारा दिनांक 12/7/2020 के सम्पन्न ग्रामसभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अवका किसी गैर - आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है। अवका नहीं उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अवका कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अनतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कोला के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि पान्तीय खण्ड, लो० नि० वि० लेन्सडौन प्रयोज्य एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत - पुल्टडा
ब्लॉक - नैनीताल
जिला - पौड़ी गढ़वाल



दस्तावेज
हस्ता -
ग्राम प्रधान / सचिव
मुखर सहित
12.7.2020

कार्य का नाम :-

59

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र
लैन्सडॉन के विकास खण्ड नैनीताल के अन्तर्गत प्रदे-
श्वेत से कौला - पुलगाँव तक मोटर मार्ग का नव-
निर्माण कार्य । लम्बाई (4.00) किमी. ।

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित व्यक्ति व ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्रीमानिवाध सिंह	
2	मान सिंह रावत	मान सिंह
3	धन सिंह	
4	कल्याण सिंह	
5	बच्छे सिंह (बड़ा)	K. Ramat
6	आनन्द सिंह	ब. च. सिंह
7	अप सिंह	सिंह
8	आगत सिंह	
9	वीर सिंह	भा. सिंह
10	गव्वर सिंह	गव्वर सिंह
11	राम सिंह	वीर सिंह
12	सुन्दर सिंह	
13	विनोद सिंह	सुन्दर सिंह
14	रवत सिंह	विनोद सिंह
15	राजेश्वर लाल	रजेश्वर
16	वीरेश्वर सिंह	वीरेश्वर सिंह
17	जवा देवी	राजेश्वर लाल
18	मीरा देवी	जवा देवी
19	कान्ती देवी	
20	दुमली देवी	
21	दशानी देवी	दशानी देवी
22	प्रशांत देवी	प्रशांत देवी
23	सिद्धी देवी	
24	दीपा देवी	
25	सिन्दरी देवी	सिन्दरी देवी
26	गोदावरी देवी	
27	मन्ना देवी	
28	सीमा देवी	
29	विष्णु देवी	
30		
31		

सुरमा देवी

सुरमा देवी

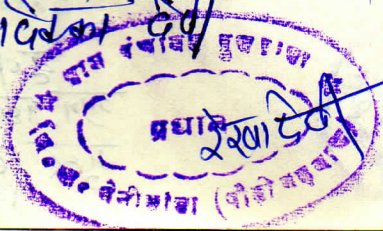
क्षेत्र पंचायत सदस्य

24 - नैनीताल खेत

वि. ख. - नैनीताल

जिला - पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

सिन्दरी देवी



मोहन सिंह

